

वेतन/अवकाश वेतन पर्ची
शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश
नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल), कचेहरी रोड, प्रयागराज

संख्या 410 / वे०प्र०प०/वित्त/न्यायिक/ई०आर०पी०-A-423-

दिनांक: 29/04/24

~~श्रीमती आरती द्विवेदी,~~
~~अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,~~
~~इलाहाबाद~~

को सूचित किया जाता है कि वह आदेश संख्या-1093/Admn. (S.O. No. 1093/24)

तारीख 13-04-24 सप्ताह का पृष्ठ के अधीन दी गई तारीखों से निम्नलिखित मासिक दरों पर वेतन/अवकाश वेतन और भत्ते लेने का हकदार है। पूर्व आहरित धन के समायोजन एवं कटौतियों से प्रतिबंधित

ब्योरे	किस तारीख से	किस तारीख से	किस तारीख से	किस तारीख से		
	01-04-24	16-04-24	3	4	5	6
मूल वेतन/बैण्ड वेतन	136520	136520	कापभार			
वैयक्तिक वेतन						
महंगाई वेतन						
विशेष वेतन						
अंतरिम सहायकता -30%						
अवकाश वेतन/बैण्ड वेतन						
महंगाई भत्ता	68260	68260	कोई			
मकान किराया भत्ता						
अतिथि सत्कार भत्ता	5800	5800	4			
चिकित्सा भत्ता	3000	3000				
आवासीय कार्यालय भत्ता						
प्रशिक्षण भत्ता						
नगर प्रतिकर भत्ता						
जोड़	213580	213580	213580			

वेतनमान 111000-163000 है प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी तारीख को वेतन-वृद्धि देय होती है और अन्यथा कोई आदेश न होने पर अन्तिम 163000 रु० की स्थिति पर पहुंचने तक वेतन-वृद्धि ली जा सकती है।

अपर निदेशक/उप निदेशक

- टिप्पणी- (1) इस बात का विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त दरों के अनुसार बनाये गये प्रथम वेतन बिल के साथ यह पर्ची लगा दी जाय और प्रत्येक वेतन बिल के ऊपरी भाग पर हकदारी पंजी पृष्ठ संख्या लिखी जाये।
- (2) यदि अन्यथा न कहा गया हो तो अन्तिम वेतन-पत्र में उल्लिखित निधि अभिदानों की कटौतियां और सरकार को देय राशियों की वसूलियां कर लेनी चाहिये।

पृष्ठांकन सं० : /वे०प्र०प०/वित्त/न्यायिक/ई०आर०पी०-A-423- तद् दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कोषागार

विशेष सचिव, ईरला चेक अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विशेष सचिव (वित्त), विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रति प्रेषित।

जब कभी यह इस सरकारी अधिकारी के नाम कोई वेतन प्रमाण-पत्र जारी करें उसमें ऊपर दिया गया वेतन का ब्योरा देना न भूलें।

अपर निदेशक/उप निदेशक